>

Title: Need to set up a lac processing unit in Palamu district, Jharkhand - Laid

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा के पलामू जिले में लेस्लीगंज प्रखण्ड (नीलाम्बर-पीताम्बर नगर) के पास एशिया का सबसे बड़ा कुन्दरी लाह बागान है । इस बागान में पलाश के पौधे बहुतायत में लगाये जाते हैं । इनका व्यवसायिक एवं आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में उपयोग होता है । इन पालश के पौधों पर लाह के कीड़ों का संचरण किया जाता है । इससे सैकड़ों महिलाओं एवं पुरूषों को रोजगार मिलता है । रैयतों/ग्रामीणों के द्वारा दिए गए भूमि एवं गैरमंजुरवा भूमि पर लगे हुए पलाश वृक्षों को संग्रहित कर कुन्दरी लाह बागान का निर्माण हुआ था जिसके माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार, चारागाह इत्यादि जीवनोपार्जन की सुविधा मिल सके और पलायन को समाप्त किया जा सके । इस क्षेत्र के ग्रामीण कई वर्षों से भूमि का उपयोग चारागाह एवं अपने जीविकोपार्जन हेतु लाह उत्पादन एवं अन्य विभिन्न कार्य हेतु करते रहे हैं ।

स्थानीय स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (जेएफएमसी) बनी हुई है । परन्तु इस समिति की बैठकों में वन विभाग के पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं । जिससे ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी और समाधान नहीं हो पाता है । वन विभाग के पदाधिकारी मनमानी करते हैं तथा निर्माण कार्य आदि में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें हैं ।

स्थानीय स्तर पर रिद्धी-सिद्धी प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समिति बनी हुई है । इसके माध्यम से ग्रामीण आन्दोलित हो रहे हैं । ग्रामीणों की सरकार से मांग है कि अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक अधिकार पट्टा के अंतर्गत वन संसाधन, संवर्द्धन और प्रबंधन करने का अधिकार पट्टा सुनिश्चित किया जाये । जिससे

ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें और आजीविका के लिए पलायन की समस्या का समाधान हो सके ।

मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि मंत्रालय स्तर से एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर अध्ययन के लिए भेजा जाए और पलामू जिले के कुन्दरी लाह बागान के पूर्ण विकास के लिए कुन्दरी में लाह प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाये । यह क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है । लाह के संग्रहण, संचरण व संवर्धन के कार्य से अधिक से अधिक लोगों को मुख्य रूप से किसानों को रोजगार मिल सकेगा । जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी । साथ ही सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर किये गये व्यय की जांच की जाये तथा प्रदेश स्तर से एक निगरानी तंत्र विकसित किया जाये जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर प्रभावी निषेध लगाया जा सके ।